खास खबरें

शाहपुरा से युवक करण खांडे लापता

नप्र, भोपालः शाहपुरा थाना क्षेत्र में 28 वर्षीय करण खांडे के लापता होने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार उमेश कुमार खांडे की शिकायत पर गुमशुदगी की जांच की गई। जांच के दौरान करण खांडे, पिता रामलाल, को अपने साथ ले जाने की जानकारी सामने आई। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कमलानगर से 22 वर्षीय युवक गायब

कमलानगर थाना क्षेत्र से 22 वर्षीय हर्ष ठाकुर के लापता होने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के मुताबिक संतों बाई ठाकुर की शिकायत पर गुमशुदगी की जांच की गई। जांच में हर्ष ठाकुर, पिता दिनेश ठाकुर, को कहीं ले जाने की जानकारी सामने आई। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर युवक की तलाश शुरू कर दी है।

तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर

मिसरोद थाना क्षेत्र के फार्महाउस इलाके में तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने का मामला सामने आया। पुलिस के अनुसार कार क्रमांक एमपी04 सीजेड 8145 के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए टक्कर मार दी। घटना के बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच की जा रही है।

वीआईपी रोड पर स्कूटी चालक ने मारी टक्कर

कोहेफिजा थाना क्षेत्र के वीआईपी रोड पर सड़क दुर्घटना का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार स्कूटी क्रमांक एमपी04 वायएल 4166 के चालक ने तेज और लापरवाही से वाहन चलाते हुए टक्कर मार दी। घटना के संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दुर्घटना के कारणों और जिम्मेदार चालक के संबंध में जांच की जा रही है।

बागसेवनिया में युवक के पास मिली अवैध पिस्टल

बागसेवनिया थाना पुलिस ने दशहरा मैदान क्षेत्र में एक युवक के कब्जे से अवैध पिस्टल बरामद की। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी जगदीश चंद्रवंशी, पिता द्वारिका प्रसाद, उम्र 38 वर्ष, के पास से 32 बोर की पिस्टल मिली। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

ऑनलाइन ठगी में 29,980 रुपये गंवाए

पिपलानी थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी ए सेक्टर निवासी 19 वर्षीय सुयांश मिश्रा ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए। पुलिस के अनुसार अज्ञात आरोपी ने उनके साथ 29,980 रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। साइबर ठगी के इस मामले में आरोपी की पहचान और रकम की जांच की जा रही है।

बुजुर्ग से पांच लाख चार हजार की ऑनलाइन ठगी

निशातपुरा थाना क्षेत्र के एमआईजी सांजीव नगर निवासी 65 वर्षीय मोहनलाल वर्मा ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अज्ञात आरोपी ने उनके साथ 5 लाख 4 हजार रुपये की धोखाधड़ी की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

राष्ट्रपति भवन में सजी मानव संग्रहालय की सांस्कृतिक विरासत की अनूठी प्रदर्शनी

छत्तीसगढ़, गोवा, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र की कला व लोक परंपराओं का हुआ प्रदर्शन

राज्य ब्यूरो नईदुनिया, भोपालः स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित 'एट होम' समारोह में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल की ओर से विशेष सांस्कृतिक प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें छत्तीसगढ़, गोवा, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक कला शैलियों और लोक परंपराओं को प्रदर्शित किया गया।

प्रदर्शनी में मानव संग्रहालय के रिजर्व कलेक्शन से चयनित महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रादर्श प्रस्तुत किए गए। इनके माध्यम से विभिन्न राज्यों की पारंपरिक जीवनशैली, कलात्मक अभिव्यक्ति, सृजनात्मकता और सांस्कृतिक विविधता को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश-विदेश से आए अतिथियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रदर्शनी में 31 पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों ने सहभागिता की। कलाकारों ने अपनी पारंपरिक कला, कौशल और पीढ़ियों से अर्जित ज्ञान के माध्यम से प्रदर्शनी को जीवंत स्वरूप प्रदान किया। कलाकारों की कार्यशाला दो चरणों में आयोजित हुई।

मानव संग्रहालय के निदेशक प्रो. अमिताभ पांडे ने कहा कि राष्ट्रपति भवन जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय मंच पर देश की विविध सांस्कृतिक परंपराओं को प्रस्तुत करना गौरव का विषय है।

संयोजक डॉ. पी. अनुराधा ने बताया कि 31 कलाकारों और शिल्पकारों के पारंपरिक ज्ञान तथा कलात्मक योगदान से प्रदर्शनी को भारत की सांस्कृतिक बहुलता का जीवंत उत्सव स्वरूप मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदर्शनी में आए कलाकारों से चर्चा भी की।

2016 से पूर्व पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षित करने की मांग

भोपाल। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने 1 जनवरी 2016 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन केंद्र सरकार की व्यवस्था के अनुरूप पुनरीक्षित करने की मांग की है। इस संबंध में एसोसिएशन ने मुख्य सचिव और वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपकर विसंगति दूर करने की मांग की।

प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने बताया कि केंद्र सरकार ने 12 मई और 23 मई 2017 के आदेशों के आधार पर 1 जनवरी 2016 से पूर्व सेवानिवृत्त केंद्रीय सिविल पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण सेवानिवृत्ति के समय के पद एवं वेतनमान के आधार पर किया है। एसोसिएशन का कहना है कि मध्यप्रदेश में भी सातवें वेतनमान के तहत केंद्र के वेतनमान व फार्मूले का अनुसरण किया गया है, इसलिए पूर्व और पश्चात 2016 के पेंशनरों में अंतर करना उचित नहीं है। संगठन ने तत्काल स्पष्ट आदेश जारी करने की मांग की है।

आयुष्मान योजना में गड़बड़ी पर सख्ती, 11 अस्पताल निलंबित

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में अनियमितताओं को लेकर मध्य प्रदेश राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने सख्त कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने प्रदेश के 11 अस्पतालों को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही संबंधित अस्पतालों के क्लेम भुगतान और एम्पैनलमेंट प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगा दी गई है। वहीं, तीन अस्पतालों पर कुल 15.88 लाख रुपये का वित्तीय दंड भी लगाया गया है।

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों की कार्यप्रणाली और क्लेम दावों की समीक्षा की थी। जांच के दौरान कई अस्पतालों में योजना के निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के पालन में कमियां सामने आईं। इसके बाद संबंधित संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। प्राधिकरण के अनुसार, निलंबित अस्पतालों को जांच पूरी होने तक योजना के तहत किसी भी प्रकार का वित्तीय लाभ नहीं दिया जाएगा। क्लेम भुगतान पर रोक लगाने का उद्देश्य अनियमितताओं की जांच के दौरान सरकारी राशि के दुरुपयोग को रोकना है।

कार्रवाई की जद में भोपाल, इंदौर, डिंडोरी, उमरिया और नर्मदापुरम सहित प्रदेश के कई जिलों के अस्पताल आए हैं। एम्पैनलमेंट प्रक्रिया स्थगित होने के कारण संबंधित अस्पताल फिलहाल आयुष्मान योजना के तहत मरीजों को पूर्व व्यवस्था के अनुसार सेवाएं नहीं दे सकेंगे। प्राधिकरण ने तीन अस्पतालों पर 15.88 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि इन अस्पतालों के नाम और अलग-अलग जुर्माने की राशि का विवरण अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि योजना के नियमों की अनदेखी करने वाले अस्पतालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

पद्मश्री रोनू मजूमदार की सुरमयी बांसुरी से मंत्रमुग्ध हुए श्रोता

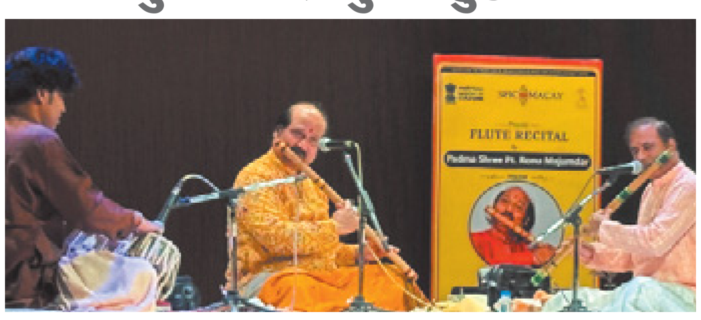

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के वीथी संकुल स्थित अंतरंग सभागार में मंगलवार को स्पिक मैके भोपाल अध्याय और संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार की बांसुरी वादन प्रस्तुति का आयोजन हुआ।

विश्वविख्यात बांसुरी वादक पंडित मजूमदार ने भावपूर्ण प्रस्तुति से सभागार को सुरों की मधुरता से सराबोर कर दिया। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत की विविध शैलियों और रागात्मक अभिव्यक्तियों की प्रस्तुतियां दीं। कार्यक्रम में सा रे गा मा प ध नि सा, वृंदावन सारंग की धुन, तीन ताल, तिहाई, अंतरा और झाला प्रस्तुत किए गए।

इसके बाद उन्होंने संत मीरा के प्रसिद्ध भजन 'पायोजी मैंने राम रतन धन पायो' और लोकधुन 'पधारो म्हारे देश' की बांसुरी पर मनोहारी प्रस्तुति दी। समापन में देशभक्ति गीत 'सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा' को बांसुरी से प्रस्तुत करने के साथ गाया भी। अंतिम प्रस्तुति पर पूरा सभागार देशभक्ति के भाव से गूंज उठा और श्रोताओं ने जोरदार तालियों से कलाकार का अभिनंदन किया।

संगीत संध्या में कल्पेश सचाला ने बांसुरी और रामेंद्र सिंह सोलंकी ने तबले पर संगत की। कार्यक्रम का संयोजन डॉ. एसके पांडे ने किया, जबकि संचालन संग्रहालय के संग्रहालय विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के विद्यार्थियों ने किया।

रक्षाबंधन पर नहीं रहेगा चंद्रग्रहण का साया, 28 को बंधेगी राखी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः इस वर्ष रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त, शुक्रवार को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार श्रावण पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त को सुबह 9 बजकर 8 मिनट से शुरू होकर 28 अगस्त को सुबह 9 बजकर 48 मिनट तक रहेगी। पूर्णिमा तिथि के आधार पर रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाया जाएगा।

ज्योतिषाचार्य पंडित लेखराज शर्मा, गुफा मंदिर धाम भोपाल के अनुसार 27 अगस्त को सुबह 9 बजकर 8 मिनट से रात 9 बजकर 32 मिनट तक भद्रा का प्रभाव रहेगा। ऐसे में भद्रा समाप्त होने के बाद 28 अगस्त को रक्षाबंधन मनाना शुभ रहेगा।

सुबह 5:57 से 9:48 बजे तक शुभ समय : राखी बांधने का शुभ समय 28 अगस्त को सुबह 5 बजकर 57 मिनट से 9 बजकर 48 मिनट तक रहेगा। इस दौरान सुबह 7 बजकर 33 मिनट से 9 बजकर 10 मिनट तक लाभ-उन्नति मुहूर्त और 9 बजकर 10 मिनट से 10 बजकर 46 मिनट तक अमृत-सर्वोत्तम मुहूर्त रहेगा।

रक्षाबंधन के दिन चंद्रग्रहण : 28 अगस्त को आंशिक चंद्रग्रहण भी होगा। भारतीय समय के अनुसार ग्रहण की पेनुम्ब्रल शुरुआत सुबह करीब 6 बजकर 54 मिनट पर होगी, जबकि आंशिक चरण करीब 8 बजकर 4 मिनट पर शुरू होगा।

ग्रहण का अधिकतम चरण सुबह करीब 9 बजकर 43 मिनट पर रहेगा और पेनुम्ब्रल चरण दोपहर करीब 12 बजकर 32 मिनट पर समाप्त होगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। खगोलीय गणना के अनुसार ग्रहण के दौरान भारत में चंद्रमा क्षितिज के ऊपर नहीं होगा। इसलिए भारत में इसका दृश्य प्रभाव नहीं रहेगा।

सूतक काल मान्य नहीं : भारत में चंद्रग्रहण दिखाई नहीं देने के कारण यहां सूतक काल मान्य नहीं होगा। इसलिए रक्षाबंधन के पर्व पर ग्रहण के कारण किसी तरह की बाधा नहीं रहेगी और बहनें निर्धारित शुभ मुहूर्त में अपने भाइयों को राखी बांध सकेंगी।

यह आंशिक चंद्रग्रहण दुनिया के कई हिस्सों में दिखाई देगा। समय-क्षेत्र और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार दृश्यता अलग-अलग होगी; प्रमुख रूप से अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप तथा पश्चिमी एशिया के कुछ हिस्सों में इसे देखा जा सकेगा।

जनसुनवाई में कलेक्टर ने सुनीं नागरिकों की समस्याएं, 161 आवेदन प्राप्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः जिले में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने नागरिकों की समस्याएं सुनीं। जनसुनवाई में जिलेभर से पहुंचे लोगों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर आवेदन प्रस्तुत किए। अधिकारियों को कुल 161 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से कई मामलों का मौके पर ही निराकरण किया गया।

कलेक्टर ने प्रत्येक आवेदक से व्यक्तिगत रूप से चर्चा कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्रकरणों पर गंभीरता से विचार करते हुए समय-सीमा में समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि नागरिकों की समस्याओं को केवल औपचारिक प्रक्रिया न मानते हुए संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की जाए।

जनसुनवाई के दौरान कई आवेदनों पर संबंधित विभागों से जानकारी लेकर तत्काल समाधान कराया गया। वहीं, अन्य प्रकरणों को संबंधित विभागों और क्षेत्रीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया।

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों की नियमित समीक्षा की जाए और आवेदकों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने कहा कि नागरिकों को समय पर राहत पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है।

समय प्रबंधन लक्ष्य हासिल करने के लिए जरूरीः सिद्धभाऊ

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः साधु वासवानी व मुक्तिा इंटरनेशनल स्कूल के छात्र संघ का शपथ समारोह में आयोजित किया गया। विद्यार्थियों ने पद एवं अनुशासन की शपथ ली। संतजी के शिष्य सिद्धभाऊजी ने बच्चों का मार्गदर्शन किया।

कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत बैंड की धुन के साथ हुई। परंरागत तरीके से दीप प्रज्ज्वलन और अतिथि सत्कार किया गया। भाऊजी ने कहा कि जो विद्यार्थी समय का सदुपयोग करते हैं, वे अवश्य अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। खान-पान का ध्यान रखने और समय-सारणी बनाकर अनुशासित पढ़ाई करते हैं। अपना हर लक्ष्य पूरा करते हैं। यह विचार संतजी के शिष्य सिद्धभाऊजी ने व्यक्त किए। वे

विद्यालय के महासचिव कन्हैयालाल रामनानी ने अनुशासन और नियमों में बंधकर कार्य करने पर जोर दिया। देशभक्त कर्नल नारायण पारवानी ने छात्र परिषद के पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई और खेलकूद को दिनचर्या का हिस्सा बनाने का संदेश दिया। सुधार सभा के उपाध्यक्ष आइलदास साधवानी ने जिम्मेदारियों का ईमानदारी से पालन करने और माता-पिता व गुरुजनों का सम्मान करने की सीख दी।

संस्कार विद्यालय में बच्चों ने गीता श्लोक संगीतमय हनुमान चालीसा का पाठ किया

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः संस्कार विद्यालय में हर मंगलवार को प्रार्थना सभा में हनुमान चालीसा पाठ की परंपरा जारी है। मंगलवार को संगीतमय चालीसा का पाठ और गीता श्लोकों को वाचन किया।

संस्था सचिव बसंत चेलानी कहा कि नियमित पाठ से कई विद्यार्थियों को हनुमान चालीसा कंठस्थ हो चुकी है। जिन बच्चों को यह याद नहीं है, उनके लिए श्री विष्णु बंसल द्वारा हनुमान चालीसा की पुस्तकें वितरित की गईं। उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ सभी संकटों व समस्याओं का निवारण करता है। शीघ्र ही कंठस्थ पाठ के लिए एक प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी, जिसमें सफल बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा।

अशोका गार्डन में महिला को प्रताड़ित करने का आरोप

नप्र, भोपालः अशोका गार्डन थाना क्षेत्र में 23 वर्षीय नाजिया ने पति मोहम्मद अबरार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार महिला ने पति पर प्रताड़ित करने और धमकी देने के आरोप लगाए हैं। महिला थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है।

ऑटो की टक्कर से सड़क दुर्घटना : पिपलखिरिया थाना क्षेत्र में छावनी पठार इलाके में ऑटो चालक द्वारा तेज और लापरवाही से वाहन चलाने का मामला सामने आया। चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए टक्कर मार दी।

ब्रह्मकुमारीज का रक्तदान शिविर 24 अगस्त को

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः ब्रह्मकुमारीज सीआरपी की ओर से राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी के 19 वें पुण्य स्मृति दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन 24 अगस्त सोमवार को किया जा रहा है । यह शिविर कृष्णा प्लाजा कॉम्प्लेक्स पार्किंग कैंपस में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक आयोजित होगा । ब्रह्मकुमारीज की ओर से बताया गया कि रक्तदान महादान है और एक यूनिट रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है । वंदना दीदी ने सभी शहरवासियों से आग्रह किया है कि वे आगे आकर इस जनसेवा अभियान का हिस्सा बनें ओर रक्तदान के माध्यम से मानवता की सेवा करें ।

CHANGE OF NAME

1 Sanjay Chandrawanshi H. No. 216, Bharat Nagar J.K. Road, Bhopal (M.P.) I declare that my old name was Sanjay Kumar Chandrawanshi (old name) now has to changed "Sanjay Chandrawanshi " (New Name) henceforth, I shall be known as "Sanjay Chandrawanshi S/o late Sukhdev Prasad Chandrawanshi " in future for all purpose including all the official documents.

1340

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रस्ताव के लिए अनुरोध आमंत्रण सूचना (आरएफपी) निविदा संदर्भ संख्याः एनएसटीआईसीएचएन/टीएन/पीएमएसईटीयू-II/2026

टेंडर आईडीः 2026_DGT_921280_1

पीएम-सेतु के तहत चेन्नई में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआई) की क्षमता बढ़ाने और राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई) की स्थापना के लिए प्रमुख उद्योग भागीदार (एलआईपी) के चयन हेतु प्रस्ताव का अनुरोध

रीजनल डायरेक्टरेट ऑफ़ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप (RDSDE), तमिलनाडु, प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs (PM-SETU) के कंपोनेंट II के तहत, चेन्नई में मौजूद नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की कैपेसिटी बढ़ाने और नेशनल सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (NCOE) बनाने के लिए लीड इंडस्ट्री पार्टनर (LIP) चुनने के लिए योग्य ऑर्गनाइज़ेशन से https://eprocure.gov.in पर ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगा रहा है। RFP डॉक्यूमेंट https://pm-setu.skillindiadigital.gov.in पर भी उपलब्ध है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करने की आखिरी तारीख और समय 25.09.2026 शाम 06 :00 बजे तक है।

क्षेत्रीय निदेशक
क्षेत्रीय निदेशालय कौशल विकास और उद्यमिता, तमिलनाडु डीजीटी, एमएसडीई, भारत सरकार

cbc63101/11/0011/2627

न्यायालय तहसीलदार, नजूल शहर वृत्त, भोपाल (म.प्र.)

प्रकरण कमांक 0234/अ-6/2026-27
भोपाल, दिनाँक 28/07/2026

सार्वजनिक इश्तेहार

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सुखमिन्दर सिंह आत्मज स्व. श्री बलवंत सिंह निवासी म.नं.181 ओल्ड अशोका गाडन चाचा नेहरू पार्क रायसेन रोड भोपाल व आवेदक राजेन्द्र सिह आत्मज स्व. श्री बलवंत सिंह निवासी म.नं. 108 प्रियदर्शिनी प्रेस्टीन सनखेडी राजीव गांधी कॉलेज भोपाल एवं श्रीमती गुरुप्रीत कौर पत्नी श्री सुरिन्दर सिंह निवासी म.नं. डी-26 वैष्णव सुरेन्द्र पैलेस होशंगाबाद रोड भोपाल द्वारा एक किता प्लाट कमांक 181जो खसरा क्रमांक 838, 839,861 से 865/1 एवं 865/2 का अंशभाग होकर कुल क्षेत्रफल 1800 वर्गफिट स्थित अशोका गार्डन रायसेन रोड गोविंदपुरा भोपाल का नामांतरण किये जाने हेतु म.प्र. भू-राजस्व संहित-1959 की धारा 109,110 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त भूमि नामान्तरण के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर विज्ञप्ति/इश्तेहार प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अंदर प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जा देगा। उक्त उद्घोषणा पत्र मेंमेरे द्वारा न्यायालय के पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक. 28.07.26 को जारी किया गया।

तहसीलदार
नजूल शहर वृत्त, भोपाल

1339

कार्यालय राजस्व निरीक्षक रा.नि.मं. 03 बैरागढ़ चीचली तहसील कोलार जिला भोपाल (म.प्र.)

आवेदन क्र. RS/444/0736/3185/2026
ग्राम का नाम बोरदा
प.ह.नं. 13 तहसील कोलार, जिला भोपाल

सूचना पत्र

प्रति, 01. श्री अभय पुत्र श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, खातेदार-ग्राम-बोरदा तहसील कोलार जिला भोपाल म.प्र.। 02. श्री अशोक गुप्ता पिता श्री आर.एस. गुप्ता, निवासी-ई-7/626, अरेरा कालोनी तहसील कोलार भोपाल म. प्र.। 03. श्री राजेश, श्री प्रवीण पुत्रगण श्री टी एन गोयल, खातेदार-ग्राम-बोरदा तहसील कोलार जिला भोपाल म.प्र.। 04. श्रीमति चन्द्रा बाई पत्नि श्री विजय कुमार वीरानी एवं श्रीमति रश्मि वीरानी पत्नि श्री प्रकाश वीरानी खातेदार-ग्राम-बोरदा तहसील कोलार जिला भोपाल म.प्र.। 05. श्री हरप्रीत पिता श्री इकबाल सिंह सलूजा, खातेदार-ग्राम-बोरदा तहसील कोलार जिला भोपाल म.प्र.। 06. श्रीमती ज्योति बलवानी पत्नि श्री विनोद बलवानी एवं श्रीमति संगीता बलवानी पत्नि श्री राजेश बलवानी खातेदार ग्राम-बोरदा तहसील कोलार जिला भोपाल म.प्र.। 07. सर्व साधारण एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारगण। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री प्रवीण पिता श्री टी.एन. गोयल निवासी-ई-4/40, अरेरा कालोनी भोपाल (म0प्र0) द्वारा ग्राम बोरदा प.ह.नं. 13 तहसील कोलार जिला भोपाल (म.प्र.) स्थित भूमि खसरा क्रमांक 194/2/2, 195/2/2 रकबा कमशः 0.1000 हे., 0.5000 हे. कुल खसरा नंबर 02 कुल रकबा 0.6000 हे. भूमि का सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदित उक्त भूमि का सीमांकन मेरे द्वारा दिनांक 24/08/2026 को समय प्रातः 11:00 बजे स्थल पर किया जावेगा। पड़ोसी खातेदार होने के कारण एवं उक्त सीमांकन से कोई आपत्ति हो तो नियत दिनांक एवं समय पर स्थल पर भूमि के स्वत्व संबंधी एवं आनुषांगिक दस्तावेज सहित उपस्थित रहकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है। अनुपस्थिति की दशा में सीमांकन कार्य रोका नहीं जावेगा। बाद प्रस्तुत आपत्ति विचार योग्य नहीं होगी। अत्यावश्यक शासकीय कार्य होने की स्थिति में सीमांकन की दिनांक में परिवर्तन किया जा सकता है। पड़ोसी भूमिस्वामी का पता स्पष्ट न होने से आवेदक स्वयं के व्यय पर उक्त सूचना पत्र का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में कराया जा सकता है। आज दिनांक 17.08.2026 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

राजस्व निरीक्षक
तहसील कोलार जिला भोपाल

1338

कार्यालय राजस्व निरीक्षक रा.नि.मं. 03 बैरागढ़ चीचली तहसील कोलार जिला भोपाल (म.प्र.)

आवेदन क. RS/444/0736/3186/2026
ग्राम का नाम बोरदा
प.ह.नं. 13 तहसील कोलार, जिला भोपाल

सूचना पत्र

प्रति, 01. श्री अभय पुत्र श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, खातेदार-ग्राम-बोरदा तहसील कोलार जिला भोपाल म.प्र.। 02. श्री अशोक गुप्ता पिता श्री आर.एस. गुप्ता, निवासी-ई-7/626, अरेरा कालोनी तहसीला कोलार भोपाल म.प्र.। 03. श्री राजेश, श्री प्रवीण पुत्रगण श्री टी एन गोयल, खातेदार-ग्राम-बोरदा तहसील कोलार जिला भोपाल म.प्र.। 04. श्रीमति चन्द्रा बाई पत्नी श्री विजय कुमार वीरानी एवं श्रीमति रश्मि वीरानी पत्नि श्री प्रकाश वीरानी खातेदार-ग्राम-बोरदा तहसील कोलार जिला भोपाल म.प्र.। 05. श्री हरप्रीत पिता श्री इकबाल सिंह सलूजा, खातेदार-ग्राम-बोरदा तहसील कोलार जिला भोपाल म.प्र.। 06. श्रीमति ज्योति बलवानी पत्नि श्री विनोद बलवानी एवं श्रीमति संगीता बलवानी पत्नि श्री राजेश बलवानी खातेदार-ग्राम-बोरदा तहसील कोलार जिला भोपाल म.प्र.। 07. सर्व साधारण एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारगण। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री राजेश पिता श्री टी.एन. गोयल निवासी-ई-7/60, एसबीआई कालोनी, अरेरा कालोनी भोपाल (म.प्र.) द्वारा ग्राम बोरदा प.ह.नं. 13 तहसील कोलार जिला भोपाल (म.प्र.) स्थित भूमि खसरा क्रमांक 194/2/1, 195/2/1 रकबा कमशः 0.1000 हे., 0.5000 हे. कुल खसरा नंबर 02 कुल रकबा 0.6000 हे. भूमि का सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदित उक्त भूमि का सीमांकन मेरे द्वारा दिनांक 24/08/2026 को समय प्रातः 11:00 बजे स्थल पर किया जावेगा। पड़ोसी खातेदार होने के कारण एवं उक्त सीमांकन से कोई आपत्ति हो तो नियत दिनांक एवं समय पर स्थल पर भूमि के स्वत्व संबंधी एवं आनुषांगिक दस्तावेज सहित उपस्थित रहकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है। अनुपस्थिति की दशा में सीमांकन कार्य रोका नहीं जावेगा। बाद प्रस्तुत आपत्ति विचार योग्य नहीं होगी। अत्यावश्यक शासकीय कार्य होने की स्थिति में सीमांकन की दिनांक में परिवर्तन किया जा सकता है। पड़ोसी भूमिस्वामी का पता स्पष्ट न होने से आवेदक स्वयं के व्यय पर उक्त सूचना पत्र का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में कराया जा सकता है। आज दिनांक 17.08.2026 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

राजस्व निरीक्षक
तहसील कोलार जिला भोपाल

1337

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी,जिला गुना (म.प्र.)

e-mail (deo.mpedgun@mp.gov.in)

गुना, दिनांक 17/8/26

विज्ञप्ति

आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर के पत्र कमांक/9-लेखा/बजट/2025-26/ई-1163732 ग्वालियर दिनांक 13.07.2026 द्वारा जारी आदेश के पालन में सर्वसाधारण एवं टेक्सी परमिट धारिता वाले ट्रेवल्स एजेंसी / फर्म/वाहन स्वामी की विशेष जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है कि, कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला गुना के लिए, आबकारी अपराध नियंत्रण एवं प्रवर्तन कार्य हेतु 01 (एक) चार पहिया वाहन को अनुबंधित किया जाना है।

वाहन अनुबंध की कार्यवाही गठित समिति द्वारा NIC के पोर्टल (https://mptenders.gov.in) के माध्यम से की जावेगी। वाहन अनुबंधित की कार्यवाही निम्न कार्यक्रम अनुसार संपन्न की जावेगीः-

कार्यक्रम स्थल कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला गुना

1	ई-टेण्डर हेतु ऑन-लाईन टेण्डर प्रपत्र डाउनलोड एवं ऑफर सबमिट करने की तिथि एवं समय	दिनांक 18.08.2026 को प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 21.08.2026 को अपरान्ह 01:00 बजे तक।
2	समिति द्वारा ई-टेण्डर खोलने एवं निराकरण किये जाने की तिथि एवं समय	दिनांक 21.08.2026 को अपरान्ह 02.00 से कार्यवाही पूर्ण होने तक।

ई-टेण्डर के माध्यम से वाहन अनुबंध की प्रकिया, शर्ते एवं निर्बंधन NIC के पोर्टल (https://mptenders.gov.in) से डाउनलोड की जा सकती है अथवा कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला गुना में कार्यालयीन दिवस / समय में आकर प्राप्त की जा सकती है।

टेक्सी परमिट धारिता वाले एजेंसी / फर्म/वाहनस्वामी ई-टेण्डर की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। उक्त जानकारी पोर्टल (https://mptenders.gov.in) के होमपेज पर लाईव टेंडर के ऑप्शन के अंतर्गत आबकारी विभाग का चयन कर, एडवांस सर्च के माध्यम से, जिले को सिलेक्ट कर जानकारी प्राप्त कर सकता है।

ई-टेण्डर की प्रक्रिया हेतु आवेदक का एमपी टेण्डर्स के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना एवं डिजिटल सिग्नेचर होना अनिवार्य है।

ई-टैण्डर की प्रक्रिया हेतु पोर्टल में पंजीयन करने, भुगतान प्रक्रिया तथा ई-टेण्डर प्रक्रिया से संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु टेंडरदाता NIC के पोर्टल के हेल्प डेस्क नम्बर 0120-4001 002, 0120-4001 005 अथवा 0120-4493395 पर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में जानकारी प्राप्त कर सकता है। साथ ही ई-मेल आई.डी. mptenders@mpsedc-com & support&eproc@nic-in पर सूचित कर आवश्यक सहयोग प्राप्त कर सकता है।

उपरोक्त जानकारी, जिला कलेक्टर गुना के कार्यालय के साथ-साथ, जिला आबकारी अधिकारी, जिला गुना व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा कराई गई है।

ई-निविदा हेतु आवेदक को निम्नानुसार दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे :-

1. वाहन अनुबंधित किए जाने हेतु ई-टेण्डर प्रपत्र का मूल्य राशि रूपये 1000/-
2. वाहन अनुबंधित किए जाने हेतु ई-टेण्डर सुरक्षा निधि की अग्रिम राशि 1000/-
3. आवेदक वाहनस्वामी/एजेंसी/फर्म के अधिकृत व्यक्ति का पेन कार्ड/आधार कार्ड/बैंक पासबुक की प्रति।
4. निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र।
5. वाहन के रजिस्ट्रेशन, बीमा, फिटनेस, टेक्सी कोटा परमिट एवं अन्य दस्तावेज़ की प्रति।

जी-17281/26

जिला आबकारी अधिकारी जिला-गुना (म.प्र.)

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रस्ताव के लिए अनुरोध आमंत्रण सूचना (आरएफपी) निविदा संदर्भ संख्याः पी-एस/17/2026-आरडीएसडीईबी/02

टेंडर आईडीः 2026_DGT_921163_1

पीएम-सेतु के तहत भुवनेश्वर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीटयूट (एनएसटीआई) की क्षमता बढ़ाने और नेशनल सेटर ऑफ एक्सीलेंस (एनसीओई) की स्थापना के लिए लीड इंडस्ट्री पार्टनर (एलआईपी) के चयन के लिए प्रस्ताव का अनुरोध

रीजनल डायरेक्टरेट ऑफ़ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप (RDSDE), ओडिसा, प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs (PM-SETU) के कंपोनेंट II के तहत,नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की कैपेसिटी बढ़ाने और भुवनेश्वर में नेशनल सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (NCOE) बनाने के लिए लीड इंडस्ट्री पार्टनर (LIP) चुनने के लिए योग्य ऑर्गनाइज़ेशन से https://eprocure.gov.in पर ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगा रहा है। RFP डॉक्यूमेंट https://pm-setu.skillindiadigital.gov.in पर भी उपलब्ध है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करने की आखिरी तारीख और समय 07.09.2026 शाम 03 :30 बजे तक है।

क्षेत्रीय निदेशक
क्षेत्रीय निदेशालय कौशल विकास और उद्यमिता, ओडिसा डीजीटी, एमएसडीई, भारत सरकार

cbc63101/11/0009/2627